गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 373 / बै.प्र. / स्था.स. / 2025 — बिलासपुर, दिनांक : 26.02.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 26.02.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।
Subject :- Dispatch of minutes of 201st meeting of Standing Committee of Academic Council dated 26-02-2025.

———0———

महोदय / महोदया,
Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 26.02.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 201वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 201st meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 26-02-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 374 / बै.प्र. / स्था.स. / 2025 — बिलासपुर, दिनांक : 26.02.2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
    The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
    The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी / सहायक कुलसचिव–अकादमिक / प्रशासन / विकास / वित्त प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
    Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/ Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
    Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 26.02.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 26.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो0 हरित झा, प्रभारी अधिष्ठाता–अंतर विषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ	सदस्य
5.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
6.	प्रो0 आर. सुब्रमणि, प्रभारी अधिष्ठाता–कला विद्यापीठ	सदस्य
7.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	डॉ0 निधि संदल, प्रभारी अधिष्ठाता–विधि विद्यापीठ	सदस्य
12.	डॉ0 एम.एस. धपोला	सदस्य
13.	डॉ0 सुबल दास	सदस्य
14.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
15.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, डायरेक्टर–आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	डॉ0 सम्पूर्णानंद झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा
2. प्रो0 संतोष कुमार प्रजाप्रति

कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में प्रेरणादायी उद्‌बोधन दिया एवं तत्पश्चात विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

Ranadive
26-02-2025

26/02/2025

विषय क्र. 03. **विश्वविद्यालय में Wi-Fi की सुविधा को आधुनिक उपकरणों के साथ सुदृढ़ करने के लिए BSNL, Bilaspur से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति द्वारा इस संदर्भ में गठित समिति की अनुशंसा का अवलोकन किया गया तथा समिति द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक तालिका का भी अवलोकन किया गया। तद्नुसार विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने उपरोक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में BSNL, Bilaspur की प्रस्तावित सेवाओं को आधुनिक तथा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा आर्थिक रूप से उपयुक्त पाया।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में Wi-Fi की सुविधा को आधुनिक उपकरणों के साथ सुदृढ़ करने के लिए BSNL, Bilaspur से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। आगामी कार्यवाही आई.टी. सेल एवं भण्डार शाखा के माध्यम से पूर्ण करायी जाय।

विषय क्र. 04. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए एक रचनात्मक, सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किये जाने तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं के दैनिक कार्यकलापों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जीजीवी पार्थ सेवा (GPS) लागू किये जाने पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने छात्रों की प्रशासनिक भागीदारी एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जीजीवी पार्थ सेवा योजना (GPS) के स्थान पर जीजीवी स्वयं सेवक योजना (GGVSSY) रखा जाय। इस योजना हेतु रूपये 5,00,000/— प्रति वर्ष प्रावधान करने का भी निर्णय लिया गया।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया गया कि योजना के संचालन संबंधी दिशा—निर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु एक समिति का गठन किया जाय तथा माननीय कुलपति महोदय को समिति गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय क्र. 05. **सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं के तहत भू—तकनीकी जांच के लिए आवश्यक लोडिंग फ्रेम, परीक्षण सेवाओं आदि के साथ मानव संसाधन और परिवहन से संबंधित सेवाओं को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं के तहत भू—तकनीकी जांच के लिए आवश्यक लोडिंग फ्रेम, परीक्षण सेवाओं आदि के साथ मानव संसाधन और परिवहन से संबंधित सेवाओं को किसी अन्य संबंधित फर्मों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस तरह की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु संबंधित बाहरी फर्मों के साथ MoU/Agreement सम्पादित किया जाय, जिसमें विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभाग के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को होने वाले वित्तीय लाभ इत्यादि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

26-02-2025

विषय क्र. 06. **शैक्षणिक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ के प्रवेश स्तर पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान नहीं किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र No.F.16-1/2023(CU)/128114 दिनांक 10.02.2025 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

विषय क्र. 07. **नालंदा केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्याल, बिलासपुर द्वारा वर्ष 2024–25 में डाटा बेस एवं विभिन्न e-resources क्रय करने हेतु दिनांक 25.02.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि नालंदा केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्याल, बिलासपुर द्वारा वर्ष 2024–25 में डाटा बेस एवं विभिन्न e-resources क्रय करने हेतु रूपये 02.00 करोड़ का बजट के प्रावधान तथा दिनांक 25.02.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र. 08. **श्री सचिन विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन विभाग द्वारा पीएच.डी. हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान में श्री सचिन विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन विभाग को पीएच.डी. हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान न किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 **विश्वविद्यालय में 100 शिक्षकों के लिए PPP Mode में किफायती एवं संधारणीय 1 बीएचके स्टूडियों अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 46 करोड़ के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में 100 शिक्षकों के लिए PPP Mode में किफायती एवं संधारणीय 1 बीएचके स्टूडियों अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 46 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ में भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत आगे के क्रियान्वयन हेतु संबंधित समिति को भेजा जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 **विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 100 शिक्षकों (लेवल 10, 11 एवं 12 के सहायक प्राध्यापकों के लिए) के लिए PPP Mode में अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 92 करोड़ के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 100 शिक्षकों (लेवल 10, 11 एवं 12 के सहायक प्राध्यापकों के लिए) के लिए PPP Mode में अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 92 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ में भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत आगे के क्रियान्वयन हेतु संबंधित समिति को भेजा जाय।

Randive
26-02-2025

26/02/2025

अ.अ.वि.क्र .03 विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 50 शिक्षकों (लेवल 14 के प्राध्यापकों के लिए) के लिए PPP Mode में अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 92 करोड़ के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 50 शिक्षकों (लेवल 14 के प्राध्यापकों के लिए) के लिए PPP Mode में अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 92 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ में भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत आगे के क्रियान्वयन हेतु संबंधित समिति को भेजा जाय।

अ.अ.वि.क्र .04 विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 75 शिक्षकों (लेवल 13A के सह–प्राध्यापकों के लिए) के लिए PPP Mode में अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 100 करोड़ के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 75 शिक्षकों (लेवल 13A के सह–प्राध्यापकों के लिए) के लिए PPP Mode में अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु रूपये 100 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ में भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत आगे के क्रियान्वयन हेतु संबंधित समिति को भेजा जाय।

अ.अ.वि.क्र .05 विश्वविद्यालय में 100 कैपेसिटी (50 रूम्स ट्विन शेयरिंग) रिसर्च हॉस्टल (जी+6) PPP Mode में निर्माण हेतु रूपये 9.2 करोड़ के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में 100 कैपेसिटी (50 रूम्स ट्विन शेयरिंग) रिसर्च हॉस्टल (जी+6) PPP Mode में निर्माण हेतु रूपये 9.2 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ में भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत आगे के क्रियान्वयन हेतु संबंधित समिति को भेजा जाय।

अ.अ.वि.क्र .06 विश्वविद्यालय में माइनरिटी ट्रेनिंग एण्ड स्किल एम्पावरमेंट सेंटर की स्थापना हेतु संशोधित प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में माइनरिटी ट्रेनिंग एण्ड स्किल एम्पावरमेंट सेंटर की स्थापना हेतु रूपये 418.2776 करोड़ के संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा इसे भारत सरकार के संबंधित विभाग को इस हेतु प्रस्ताव भेजा जाय।

अ.अ.वि.क्र .07 विभिन्न भवनों और इसके अग्रभाग के लिए मरम्मत और रख–रखाव के रूपये 10.45 करोड़ के कार्य M/S Mecon Ltd. के माध्यम से कराने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न भवनों और इसके अग्रभाग के लिए मरम्मत और रख–रखाव के रूपये 10.45 करोड़ के कार्य M/S Mecon Ltd. के माध्यम से कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

26-02-2025 26/02/2025

अ.अ.वि.क्र .08 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में नए बी.टेक और एम.टेक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में नए बी.टेक पाठ्यक्रम (1) B.Tech in Artificial Intelligence and Data Science, (2) B.Tech in Animation and VFX आगामी सत्र 2025–26 से शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .09 छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता/उत्तरदायित्व लाने हेतु अंतिम वर्ष में 05 अंक प्रदान करने के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी विद्यापीठ के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाय तथा इसके क्रियान्वयन हेतु प्रचलित अध्यादेश में आवश्यक संशोधन कर लिया जाय।

अ.अ.वि.क्र .10 संव्यावसायिक/कार्यकारी शोध छात्रों हेतु VRET Exempted के अंतर्गत प्रवेश प्रदान करने हेतु एक अलग श्रेणी के निर्माण पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाता–जीव विज्ञान विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति प्रदान न की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Ranadive 26-02-2025
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

26/02/2025
कुलपति/अध्यक्ष